प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 27.09.23

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त मय चोरी के मोबाइल फोन व चोरी के मोबाइल फोन बिक्री से प्राप्त 500/- रुपये सहित गिरफ्तार।

वादी श्री रोहित कुमार पुत्र भानुप्रकाश निवासी भोवापुर कौशाम्बी गाजियाबाद अतर सिंह के बराबर गली बरुन मेडिकल के बराबर घर भोवापुर व उनके दोस्त श्री संदीप ने दिनांक 26.09.2023 को 02 मोबाइल फोन सोते समय घर से किसी अज्ञात अभियुक्त द्वारा चोरी कर लिये जाने के संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओ में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।

आज दिनांक 27.09.2023 को आनंद विहार निर्माणाधीन बिल्डिग के पास से चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त जावेद आलम पुत्र मजरूल आलम निवासी ग्राम बालूचक्का थाना ग्वालपुर जिला किशनगंज विहार हाल पता गली न0 2 भोवापुर नियर दुर्गा माता मन्दिर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद मय चोरी के मोबाइल व चोरी के मोबाइल बेचने से प्राप्त 500/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः –

जावेद आलम पुत्र मजरूल आलम निवासी ग्राम बालूचक्का थाना ग्वालपुर जिला किशनगंज विहार हाल पता गली न0 2 भोवापुर नियर दुर्गा माता मन्दिर थाना कौशाम्बी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण –

- चोरी का मोबाइल रीयल मी
- चोरी के मोबाइल बेचने से प्राप्त 500 रुपये

अभियोग का विवरणः-

अभि0 के विरूद्ध थाना कौशाम्बी पर एक अभियोग पंजीकृत।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा अवैध पटाखों बनाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध निर्मित पटाखें, पटाखे बनाने के उपकरण आदि बरामद

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 26.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र के गाँव अटोर नगला की रामनगर कालोनी में कई व्यक्ति किराये के मकान में अवैध पटाखे बनाने का काम कर रहे हैं जिस पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 नफर अभियुक्तगण को अवैध माल के साथ गिरफ्तार कर थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से अवैध पटाखों एक कट्टा प्लास्टिक भरा हुआ करीब 3000 पटाखे, 17 कट्टे प्लास्टिक करीब 35000 अधबने सुतली बम , 3 कट्टा पटाखे के अन्दर लगना वाला खोल संख्या में करीब 7000, बारुद आधी पेटी करीब 10 किलो, सुतली 3 रोल सरिये में लटके हुए ,3 पैकरोल, 1 ड्रम कटा हुआ ,तसले 07 कुल छोटे बडे, व्हाइटकैमिकल खुला करीब 5 किलो , 01 तराजू , एक 1 किलो बाट, 01 दो किलो बाट ,काला मसाला सुतली बम में बत्ती फिट करने वाला काला मसाला करीब 3 किलो ग्राम , फुलझडी दाना करीब 03 किलो ग्राम, बत्ती कुल 04 बंडल , लकडी का हत्था लगे 03 सुए, रंगने वाली डाई के 4 हरे पैकेट(03बन्द 01 खुला) ,04 पीले पैकेट (03 बन्द 01 खुला), 01 चार्जिंगलाईट , 01 टेप खुले हुये ,01 कैची , 02 चटाई बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण—

1.एक कट्टा प्लास्टिक भरा हुआ करीब 3000 पटाखे,

2. 17 कट्टे प्लास्टिक करीब 35000 अधबने सुतली बम ,

3. 3 कट्टा पटाखे के अन्दर लगना वाला खोल संख्या में करीब 7000,
4.बारुद आधी पेटी करीब 10 किलो,
5.सुतली 3 रोल सरिये में लटके हुए ,
6.3 पैकरोल, 1 ड्रम कटा हुआ ,
7.तसले 07 कुल छोटे बडे,
8.व्हाइटकैमिकल खुला करीब 5 किलो , 01 तराजू , एक 1 किलो बाट, एक दो किलो बाट ,
9.काला मसाला सुतली बम में बत्ती फिट करने वाला काला मसाला करीब 3 किलो ग्राम ,
10. फुलझडी दाना करीब 03 किलो ग्राम, बत्ती कुल 04 बंडल ,
11.लकडी का हत्था लगे 03 सुए,
12.रंगने वाली डाई के 4 हरे पैकेट(03बन्द 01 खुला) ,04 पीले पैकेट (03 बन्द 01 खुला), चार्जिंगलाईट 01, टेप खुले हुये 01,कैची 01, चटाई 02 अदद

<u>पूछताछ का विवरण</u>- गिरफ्तार किये गये अभि0गण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम यह अवैध पटाखे बनाने का काम किराये के मकान में कर रहे थे आगामी त्यौहार पर हम इन अवैध पटाखों की अच्छी बिक्री कर अपने परिवार का पालन पोषण करते है।

<u>अभि0गण का नाम व पता</u>—
1.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री नारायन सिंह निवासी ग्राम सिरसा ढेकाहा बाजार थाना पिपराकोठी जिला मोतिहारी (बिहार) उम्र 25 वर्ष
2. विकास कुमार पुत्र अकीन्द्र राम निवासी ग्राम रुपनी थाना मधुबन जिला ईस्टचम्पारन (बिहार) उम्र 20 वर्ष

<u>आपराधिक इतिहास</u>-
अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग विस्फोटक अधिनियम का पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>—

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम

<u>थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 420 ग्राम अवैध चरस बरामद</u>

आज दिनांक 27.09.2023 को थाना निवाड़ी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त राहुल त्यागी पुत्र स्व0 कान्ति निवासी कस्बा निवाड़ी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 420 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि अपना खर्चा चलाने के लिये वह चरस बेचता है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -</u>
राहुल त्यागी पुत्र स्व0 कान्ति निवासी कस्बा निवाड़ी गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष,

<u>बरामदगी विवरण -</u>

- 420 ग्राम अवैध चरस,

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>
थाना निवाड़ी पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 मोबाइल व 1060 रुपये बरामद

दिनांक 26.09.2023 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर चोर तालिब उर्फ नेपाली पुत्र महमूद निवासी पिपलैड़ा थाना धौलाना जिला हापुड़ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से चोरी किये गये 03 मोबाइल, 1060 रुपये व 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि ये तीनो मोबाईल (सैमसंग ए-12 , सैमसंग जे 5 प्राइम व वीवो वाई 81) को उसने विजयनगर गाजियाबाद से अलग अलग जगह से चोरी किये है, इससे पहले भी एक महीने पहले हाजी फारुख मार्किट एनटीपीसी रोड पर एक मोबाईल की दुकान में से तीन फोन चोरी किये थे जो मैने चलते फिरते राहगीरों को रास्ते में कुल 3 हजार रुपये में बेच दिये थे। ये रुपये उन्ही मोबाइल को बेचकर प्राप्त रुपये में से बाकी है। चाकू को अपनी सुरक्षा व लोगो को डराने की वजह से रखना बताया

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>
तालिब उर्फ नेपाली पुत्र महमूद निवासी पिपलैड़ा थाना धौलाना जिला हापुड़ उम्र 21 वर्ष.

<u>आपराधिक इतिहास</u>
अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर चोरी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं,
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

- 03 मोबाइल (चोरी के)
- चोरी के मोबाइल बिक्री से प्राप्त रुपयों में से 1060/- रुपये,
- 01 नाजायज चाकू,

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>
थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास की घटना मे वांछित चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र बरामद।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 26.9.23 को वादी श्री सोनू पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला कुरेशियान कमेले के पास डासना थाना वेव सिटी गा0बाद द्वारा वादी के भाई इरशाद पुत्र अख्तर के साथ अभियुक्तगण ने झगडा करना व जान से मारने की धमकी

देना तथा जान से मारने की नीयत से फायर करना जिसमें एक गोली वादी के भाई के कमर के नीचे हिस्से मे लग जाना तथा दूसरी गोली रगड कर निकल जाना के सम्बन्ध मे तहरीर दी गयी थी | इस समबन्ध में थाना वेव सिटी पर तहरीर के आधार पर संसुगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था, घटना के अनावरण हेतु दो टीमों का गठन किया गया।

आज दिनांक 27.9.23 को मुखबिर की सूचना पर पैरीफेरल एक्सप्रेस वे अण्डर पास के सामने मोड़ से अभियुक्त 1-साकिर पुत्र साबिर निवासी यासीन गढी डासना, थाना वेवसिटी, गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष ,2- फुरकान पुत्र मुस्तफा निवासी यासीन गढी डासना, थाना वेव सिटी, गा0बाद, उम्र करीब 31 वर्ष,3-परवा उर्फ वकील पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला बाजीगरान डासना, थाना वेव सिटी, गा0बाद उम्र करीब 39 वर्ष ,4-कमरूद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र बिन्दु निवासी आफताब कालोनी डासना, थाना वेव सिटी, गा0बाद, उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कमरूद्दीन उर्फ पप्पू के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त एक तंमचा व 01 खाली खोखा कारतूस बरामद हुआ है।अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गोली मारने की घटना के सम्बंध में गिरफ्तार अभियुक्तगणो से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त कमरूद्दीन उर्फ पप्पू ने बताया कि इरशाद पुत्र अख्तर मुझसे पैसो की मांग कर रहा था। मैने यह बात साकिर पुत्र साबिर जो इरशाद की फूफी का लडका है, तथा वकील पुत्र शौकत को बताई थी, तब साकिर ने कहा था कि मै इरशाद बात कर लूँगा, तू उसे पैसे मत देना, जब मैने इरशाद को पैसे नहीं दिये तो इरशाद मुझे पैसों के लिए काफी तंग व परेशान करने लगा था। साकिर ने ही मुझसे कहा था कि तू इरशाद को अपने घर के पास कब्रिस्तान के पास रखे ट्रांसफार्मर के पास बुला ले, मै उससे बात करूँगा, फिर मैने करीब 08.30 बजे के आस-पास इरशाद को पैसे देने के लिए बुलाया था, लेकिन मुझे इरशाद को पैसे नहीं देने थे, मुझे साकिर ने पैसे देने से मना कर दिया था, इरशाद हमारे बुलाये अनुसार आ गया था, मै तथा साकिर व वकील तथा फुरकान पुत्र मुस्तफा, राजू व पीला उर्फ तौफीक जो सऊद वार्ड मैम्बर के घर के पास रहते है, हम सभी लोग पहले ही वहां पर पहुँच गये थे, इरशाद सुबह आ गया था, इरशाद ने मुझसे कहा कि भाई आज तू मुझे पैसें दे रहा था, उन पैसों का क्या हुआ, इतने में, मैने अपनी अंटी से तमंचा निकाल लिया, फिर साकिर, फुरकान, पारवा उर्फ वकील, राजू व पीला उर्फ तौफीक ने चिल्लाकर कहा कि कमरूद्दीन इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ओर तुझे पैसे भी नहीं देने पडेगे, फिर मैने तमंचा निकालकर इरशाद पर गोली चला दी थी, जो इरशाद की कमर के नीचे कूल्हे पर लगी थी, गोली लगने से इरशाद जख्मी होकर वहीं पर गिर गया था, गोली की आवाज सुनकर आस-पास के लोग इकट्ठा होने लगे थे तथा शौर शराबा सुनकर इरशाद का भाई सोनू भी वहां पर आ गया था, फिर हम लोग इरशाद को धमकी देते हुए भाग गये।

नाम पता अभियुक्तगण –

1- साकिर पुत्र साबिर निवासी यासीन गढी डासना, थाना वेवसिटी, गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष
2- फुरकान पुत्र मुस्तफा निवासी यासीन गढी डासना, थाना वेवसिटी, गा0बाद, उम्र करीब 31 वर्ष
3-परवा उर्फ वकील पुत्र शौकत निवासी मौहल्ला बाजीगरान डासना, थाना वेवसिटी, गा0बाद उम्र करीब 39 वर्ष
4-कमरूद्दीन उर्फ पप्पू पुत्र बिन्दु निवासी आफताब कालोनी डासना, थाना वेवसिटी, गा0बाद, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध जनपद गाजियाबाद में हत्या का एक मुकदमा चोरी तथा एक मुकदमा आयुध अधि0 का पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण-

घटना मे प्रयुक्त एक तमंचा व एक खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा गौकशी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.08.23 को वादी सुमित कुमार पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी रईसपुर ने थाना मधुबन बापूधाम पर अज्ञात अभियुक्तगणो द्वारा गौकशी करने के संबंध में सूचना दी। इस संबंध मे थाना मधुबन बापूधाम पर तत्काल सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। उक्त अभियोग के संदर्भ में 06 अभियुक्तगणो को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 27.09.23 को कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस टीम द्वारा लोकल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर गौकशी करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

फिरोज उर्फ साँप पुत्र रियाजुद्दीन निवासी – झुर्रीयों वाला मोहल्ला ग्राम नाहल थाना मसूरी कमिश्नरेट गाज़ियाबाद उम्र 32 वर्ष

अभियुक्तगणो का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त फिरोज उर्फ साँफ के विरुद्ध थाना मंसूरी पर 01 मुकदमा गैंगेस्टर एक्ट, 01 मुकदमा आयुद्ध अधि0, 02 मुकदमे चोरी के तथा 01 मुकदमा गौवध नि0 अधि0 का तथा थाना मधुबन बापूधाम पर 01 मुकदमा गौवध नि0 अधि0 का कुल 06 मुकदमे पंजीकृत है।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगों ने ही गोविन्दपुरम कूडेदान के पास घूम रहे गौवंशों को पकड़कर अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मटियाला के जंगलों में गौवंशों को काटा था। एफ जैड मोटर साइकिल भी हम लोगों ने दिल्ली मेरठ रोड पर मारूति के शोरूम के आगे से इसलिए चुराई थी कि मोटर साइकिल का प्रयोग हम घटना में कर सकें और पकड़े ना जायें।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम।